



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है ख़ुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./07/34/2015/एफ.सी./831

दिनांक:

23-9-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बरई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कि०मी० -68/14-15 पर डायवर्जन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण हेतु 0.85 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 119 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 591/11-सी-यू.पी./7218/2015 दिनांक- 11.09.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 423/11-सी-यू.पी./7218/2014 दिनांक- 21.8.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.09.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बरई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कि०मी० -68/14-15 पर डायवर्जन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण हेतु 0.85 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 119 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कुल प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (0.85 x 2 = 1.70) अर्थात् 1.70 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या- लेखा संख्या- एस०बी०-25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर०टी०जी०एस०/एन०एफ०टी० (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

23/9/15

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाए। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सीतापुर, उ0 प्र0
6. अतिरिक्त महाप्रबन्धक (परियोजना), रेल विकास निगम लि0, प्रथम तल, पर्यावरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)